

राज्य सलाहकार समिति की बैठक

दिनांक 10.04.2017

कार्यवाही विवरण

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 के अंतर्गत गठित राज्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 10.04.2017 को (दोपहर 3:00 बजे) संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश, के चुतर्थ तल में डॉ. ज्योत्स्ना श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, गाँधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल (म.प्र.), की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नलिखित राज्य सलाहकार समिति के सदस्यगण उपस्थित हुए:-

1. डॉ. मौनाक्षी पटेल, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जय प्रकाश चिकित्सालय, भोपाल (म.प्र)।
2. श्रीमती अर्चना सहाय, संचालक, चाइल्ड लाइन, भोपाल (म.प्र)।
3. श्रीमती प्रार्थना मिश्रा, संगिनी संस्थान, भोपाल (म.प्र)।
4. श्रीमती सुनीता दुबे, सहायक संचालक, जन संपर्क विभाग, भोपाल (म.प्र)।

इसके अतिरिक्त बैठक में निम्नानुसार विशेष आमंत्रित सदस्य सम्मिलित हुए:-

1. डॉ. बी.एन.चौहान, संचालक, एन.एच.एम एवं अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी एकट, भोपाल (म.प्र)।
2. डॉ वंदना शर्मा, उप संचालक एवं राज्य नोडल अधिकारी, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी एकट, भोपाल (म.प्र)।
3. श्रीमती स्वाती बी सिंह, राज्य सलाहकार, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी एकट, भोपाल (म.प्र)।

राज्य सलाहकार समिति की बैठक में पूर्व में हुई बैठक दिनांक 28.12.2016 के पालन प्रतिवेदन पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी एवं अधिनियम के सुचारु क्रियान्वयन हेतु बिन्दुवार अभिमत दिया गया:-

1. बिंदु क्रमांक 01 के अंतर्गत गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) नियम, 2014 के सम्बन्ध में राज्य सुपरवाइजरी बोर्ड के माध्यम से स्पष्ट निर्देश लिए जाने हेतु अभिमत दिया गया था। इस सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया की राज्य सुपरवाइजरी बोर्ड की बैठक दिनांक 30.01.2017 में नियम 2014 के सम्बन्ध में निर्देश चाहा गया है। बोर्ड का कार्यवाही विवरण माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी के अनुमोदन हेतु लम्बित है।

इसके अतिरिक्त पूर्व की बैठक में जिले में निरीक्षण की गुणवत्ता एवं संख्या हेतु जिला निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल में FOGSI, IRIA एवं, जिला अभियोजन अधिकारियों को सम्मिलित करने हेतु अभिमत दिया गया था। सदस्यों द्वारा पुनः FOGSI एवं IRIA के प्रतिनिधियों को निरीक्षण दल में सम्मिलित किये जाने हेतु सहमती दी गयी। परन्तु दल में जिला अभियोजन अधिकारियों को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में संशय व्यक्त किया गया। समिति द्वारा यह अभिमत दिया गया की जिला निरीक्षण दल द्वारा की गयी कार्यवाही पर न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं अतः निरीक्षण दल में जिला अभियोजन अधिकारी का सम्मिलित किया जाना असंगत है। समिति द्वारा जिला निरीक्षण दल के अशासकीय सदस्यों के TA/DA के सम्बन्ध में राज्य समुचित प्राधिकारी, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी एकट द्वारा निर्णय लिए जाने हेतु अभिमत दिया गया।

2. बिंदु क्रमांक 02 में हमारी बिटिया अभियान के अंतर्गत प्रावधानित संख्या से कम निरीक्षणों पर चिंता व्यक्त करते हुए इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर/जिला समुचित प्राधिकारी, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी को

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवार्ये द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु कराये जाने हेतु पत्र लिखे जाने का अभिमत दिया गया ।

3. पूर्व की बैठक के बिंदु क्रमांक 03 के अंतर्गत राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों को सतना जिले में लम्बित न्यायायिक प्रकरण की अध्यतन स्थिति से अवगत कराया गया । राज्य स्तर पर प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र के संचालक को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया है । समिति के सदस्यों द्वारा केंद्र के संचालक के विरुद्ध राज्य मेडिकल काउंसिल से पंजीयन निरस्त किसी जाने की कार्यवाही की जानी है । न्यायायिक प्रकरण के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर/ जिला समुचित प्राधिकारी, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी से जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु पुनः अभिमत दिया गया ।
4. राज्य स्तर पर लंबित प्रकरणों पर निम्नानुसार अभिमत दिया गया:-

Sr. No.	अपील प्रकरण का विवरण	अभिमत
क्र./PNDDT/MP/16/06	आवेदक द्वारा अपने निवास में परामर्श कक्ष पर अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर पर अल्ट्रासोनोग्राफी करने की अनुमति चाही गयी है । इस सम्बन्ध में अस्पताल प्रशासन शाखा द्वारा स्पष्ट अभिमत लम्बित होने बताया गया ।	शासन के आदेश दिनांक 07/02/2017 के अंतर्गत नवीन पंजीयन नहीं दिए जाने के स्पष्ट निर्देश है ।
क्र./PNDDT/MP/16/01	इस प्रकरण की विस्तृत जानकारी से उच्च अधिकारियों को अवगत कराये जाने का अभिमत दिया गया	राज्य समुचित प्राधिकारी की आगामी बैठक में रखा जाना प्रसतावित है ।
क्र./PNDDT/MP/16/03	आवेदक द्वारा पुरस्कार योजना के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है । इस सम्बन्ध में समिति ने जिला कलेक्टर से प्राप्त आवेदन पर स्पष्ट अभिमत पुनः प्राप्त किये जाने हेतु अभिमत दिया है ।	राज्य समुचित प्राधिकारी की आगामी बैठक में रखा जाना प्रसतावित है ।
क्र./PNDDT/MP/16/05	प्राप्त अपील पर जिला कलेक्टर से अभिमत प्राप्त कर निर्णय लिए जाने का अभिमत दिया गया है ।	प्रकरण न्यायालय में लम्बित है । राज्य समुचित प्राधिकारी की आगामी बैठक में रखा जाना प्रसतावित है ।

बैठक के एजेंडा बिन्दुओं पर निम्नानुसार अभिमत दिए गए:-

1. राष्ट्रीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी एकट, के देवास एवं भोपाल भ्रमण (दिनांक 23 एवं 24 अप्रैल 2017) के सम्बन्ध में चर्चा की गयी । निरीक्षण रिपोर्ट अप्राप्त होने की स्थिति में समिति द्वारा अग्रिम कार्यवाही अधिकारित रिपोर्ट प्राप्त होने की स्थिति में किया जाना उचित बताया गया ।
2. समिति के सदस्यों द्वारा ग्वालियर जिले में किये गए स्टिंग ऑपरेशन की सराहना की गयी एवं इस कार्यवाही की प्रचार प्रसार किये जाने का अभिमत दिया गया ।

Fb
26.4.17

3. जिल कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी, पी.सी.एंड.पी.एन.डी.टी एक्ट, द्वारा पुरस्कार हेतु प्राप्त अभिमत को मान्य किया गया एवं राज्य समुचित प्राधिकारी की बैठक में निर्णय लिए जाने हेतु अभिमत दिया गया ।
4. राज्य में जिला स्तरीय सलाहकार समिति के क्रियान्वयन की समीक्षा की गयी । जिन जिलों द्वारा जनवरी-दिसम्बर 2016 में सुचारु क्रियान्वयन कियी जाने पर सराहये जाने का अभिमत दिया गया ।
5. अंतः समिति के सदस्यों द्वारा गिरते हुए शिशु लिंगानुपात के कारणों एवं दुषपरिणामों के सम्बन्ध में सतत् I.EC किये जाने पर जोर दिया गया । इस हेतु समुचित एजेंसी का छिन्हांकन पर स्कूल/कॉलेज में युवा पीढ़ी का संवेदीकरण किये जाने पर बल दिया गया । इसके अतिरक्त राज्य के Adolescent Health कार्यक्रम में भी इस विषय में काम किये जाने का अभिमत दिया गया ।

Shriwaastav
26.4.17

डा. ज्योत्श्ना श्रीवास्तव

विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग
गाँधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल (म.प्र.)